न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 505 रान 2021
अनवान :–

1. यासीन खां पुत्र रोशनखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादीगण

2. मोहम्मद हुसेन पुत्र फेलसखा उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर
3. बलकीसा पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. मदीना पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. यासीन पुत्र फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. जरीना पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. कलीमा पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. इकबाल खां पुत्र मुन्शीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. मोहम्मद रफीक पुत्र मुन्शीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. गैना पत्नी मुन्शीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. रेशमी पुत्री गन्नीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. नेक मोहम्मद पुत्र गन्नेखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
13. सफीखां पुत्र गन्नीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
14. कर्मा पत्नी रोशनखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
15. नबाबदीन पुत्र रोशन खान जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
16. जमीला पुत्री रोशनखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. सकीना पुत्री रोशन खां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. जलेखां पुत्री रोशन खां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. अब्दुल जबार पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. कुरसेदा पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. सकीना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. झेहना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
23. जेतुना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
24. समीना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
25. आगना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
26. मुस्ताक पुत्री गुलजारा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
27. तैयब पुत्र गुलजारा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
28. आमना पुत्री गुलजारा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31/03/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही भौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा व साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीघा कुल 28.00 बीघा भूमि स्थित थी जो गन्नी वल्द मामदीन जाति कुम्हार निवासी ननाउ के कब्जा काश्त में थी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 से साबित है।

साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा एवं साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीघा कृषि भूमि के गत पैमाईश में भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में हाल खसरा न0 353 की 28.00 (7.0830हैव) में परिवर्तन किया गया था अर्थात गन्नी वलद मामदीन की भूमि को साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा व खसरा न0 199 की 2.00 बीघा भूमि हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीघा में परिवर्तन /पैमुद हो चुकी है जो गन्नी वल्द मामदीन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गन्नी वल्द मामदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज में से रोशन , फुलेरका , सरीफा , को देहान्त हो चुका इसप्रकार गन्नी वल्द मामदीन एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने के बाद सजरा खानदान के अनुसार वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 है जिनके वाद भूमि वर्तमान मे कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा भूमि व साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीघा भूमि के हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीघा भूमि में पैमुद हो चुकी है एवं वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि गन्नी वल्द मामदीन के कब्जा काश्त में भूमि थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गन्नी वल्द मामदीन को उसी समय से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय वाद भूमि वादी के पिता गन्नी वल्द मामदीन के कब्जा काश्त में होने के कारण कानुन गन्नी वल्द मामदीन खातेदार काश्तकार हो गया था तथा गन्नी वल्द मामदीन के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 28 उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है परन्तु वाद भूमि के साबिका खसरा नम्बरो से हाल खसरा नम्बरों में तत्पश्चात हैक्टयर में परिर्वतन की जाकर गन्नी वल्द मामदीन के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो गन्नी वल्द मामदीन के देहानत होने पर उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो आज वाद भूमि गैर खातेदारी दर्ज है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 713/703 के खसरा न0 353 की 7.0820हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 प्रत्येक 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 28 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रत्येक 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा , व तरतीबी प्रतिवीद संख्या 19 ता 25 प्रत्येक 1/42 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 के विरूद्व रिलिफ ना होकर भूमि पाने के कारण जवाब की आवश्यकता नही तथा प्रतिवादी संख्या 1 से पेरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया की वादी सम्वत 2012 में काश्तकार होना साबित करे एवं रोही मोजा बडबिराना की भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है वादी वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा व साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीघा कुल 28.00 बीघा भूमि स्थित थी जो गन्नी वल्द मामदीन जाति कुम्हार निवासी ननाउ के कब्जा काश्त में थी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 से साबित है।

साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा एवं साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीघा कृषि भूमि के गत पैमाईश में भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में हाल खसरा न0 353 की 28.00 (7.0830हैक) में परिर्वतन किया गया था अर्थात गन्नी वलद मामदीन की भूमि को साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा व खसरा न0 199 की 2.00 बीधा भूमि हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीधा में परिर्वतन /पैमुद हो चुकी है जो गन्नी वल्द मामदीन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है।

गन्नी वल्द मामदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज में से रोशन , फुलेरका , सरीफा , को देहान्त हो चुका इसप्रकार गन्नी वल्द मामदीन एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने के बाद सजारा खानदान के अनुसार वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 है जिनके वाद भूमि वर्तमान में कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीघा भूमि व साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीघा भूमि के हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीघा भूमि में पैमुद हो चुकी है एवं वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि गन्नी वल्द मामदीन के कब्जा काश्त में भूमि थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गन्नी वल्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

मामदीन को उसी समय से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय वाद भूमि वादी के पिता गन्नी वल्द मामदीन के कब्जा काश्त में होने के कारण कानुन गन्नी वल्द मामदीन खातेदार काश्तकार हो गया था तथा गन्नी वल्द मामदीन के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 28 उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है परन्तु वाद भूमि के साबिका खसरा नम्बरो से हाल खसरा नम्बरों में ततपश्चात हैक्टयर में परिर्वतन की जाकर गन्नी वल्द मामदीन के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो गन्नी वल्द मामदीन के देहानत होने पर उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी जो आज वाद भूमि गैर खातेदारी दर्ज है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 713/703 के खसरा न0 353 की 7.0820हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 प्रत्येक 1/42 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 28 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रत्येक 1/42 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा, व तरतीबी प्रतिवीद संख्या 19 ता 25 प्रत्येक 1/42 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की साक्ष्य सबुतो से वादी अपना वाद साबित करे एवं रोही मौजा बडबिराना वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है इसलिये वादी निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 713/703 के हाल खसरा न0 353 की 7.0820हैक्ट भूमि गन्नी वल्द मामदीन के पुत्र/पुत्रीयो के नाम से सयुक्त खाते में गैरखातेदार के रूप में दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मोजा ननाउ की जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा भूमि गन्नी वल्द मामदीन के नाम दर्ज थी तत्पश्चात गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 में साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा भूमि गन्नी वल्द मामदीन के नाम से दर्ज थी इसीप्रकार लगातार जमाबन्दी /गिरदावरीयो में साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा भूमि गन्नी वल्द मामदीन के नाम दर्ज चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयो से पूर्णत्या साबित होता है अर्थात गन्नी वल्द मामदीन सम्वत 2012 से पूर्व का काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था।

मू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश सम्वत 2020 के दोरान रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा भूमि व साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीधा भूमि में पैमुद किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है इसी आधार पर मूप्रबन्ध विभाग के द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तैयार की जाकर हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीधा भूमि गन्नी वल्द मामदीन के नाम दर्ज की गई जिसके सम्बध में वादी/पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है आगामी जमाबन्दीयो में गन्नी वल्द मामदीन के देहान्त होने पर गन्नी वल्द मामदीन के वारिसान पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज है जिनमें भी रोशन, फुलेरका, सरीफा को देहानत हो चुका है जिनके जायज वारिसान राजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 है जो प्रस्तुत जमाबन्दीया/गिरदावारीयो/मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है।

इसप्रकार प्रकार वाद भूमि रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा भूमि व साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीधा को हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीधा भूमि में परिर्वतन एवं पैमुद किया गया जाकर गन्नी वल्द मामदीन के नाम से दर्ज की गई थी अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व लेकर सम्वत 2038 तक वाद भूमि गन्नी वल्द मामदीन के नाम से दर्ज थी एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है तत्पश्चात गन्नी वल्द मामदीन के देहान्त होने पर गन्नी वल्द मामदीन के वारिसान पुत्र/पुत्रीयो के नाम से जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में दर्ज चली आ रही है एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दीयो/गिरदावारीयो के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 193 की 26.00 बीधा भूमि के हाल खसरा न0 353 की 28.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पहले गन्नी वल्द मामदीन के नाम व कब्जा काश्त में रही है के साक्ष्य वादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये है किन्तु साबिका खसरा न0 199 की 2.00 बीधा भूमि के सम्वत 2012 से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबन्दी पूर्व से वादी के पूर्वज गन्नी दल्ह सामदीन के कब्जा काश्त में रही है और सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करने से स्पष्ट रहा है प्रस्तुत अवधि जमाबन्दी के अनुसार खातेदार खसरा नं0 193 की 28.00 बीघा तथा खसरा नं0 353 की 28.00 बीघा भूमि पूर्व से गन्नी दल्ह सामदीन के कब्जा काश्त में एवं गन्नी दल्ह सामदीन के देहान्त होने पर उनके पुत्र/पुत्रियों के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात उक्त भूमि का गन्नी दल्ह सामदीन संवत 2012 से पूर्व का काश्तकार है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसकी धारा 15 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात संवत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरी में जो भूमि जिसके कब्जा काश्त में थी वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है/राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के तहत वादी का पिता गन्नी दल्ह सामदीन जो संवत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरी में बतौर काश्तकार दर्ज होने के कारण खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था यदि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किये जाने से गन्नी दल्ह सामदीन के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते है बल्कि वह आज भी उक्त अधिनियम के तहत बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो के अनुसार गन्नी दल्ह सामदीन साकिन खसरा नं0 193 की 28.00 बीघा जो हाल खसरा नं0 353 की 28.00 बीघा में तैमूद की गई है जो भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी से साबित है तथा पूर्व में गन्नी दल्ह सामदीन के कब्जा काश्त में थी एवं वर्तमान में उनके पुत्र/पुत्रीयो के नाम से दर्ज है एवं वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है शेष 2.00 बीघा भूमि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में मार्गदर्शन राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है राज्य सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त होने पर उसी के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

पैरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत नियमन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

पैरोकार राज का कथन उचित प्रतित होता है वाद भूमि वादी को बारानी क्षेत्र में आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है। वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारों के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है –

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संवंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/साक्ष्य /सबुतो के आधार पर वादी के पूर्वज गन्नी वल्द मामदीन सम्वत 2012 से पूर्व के काश्तकार सावित होने के कारण एव गन्नी वल्द मामदीन के देहान्त होने पर उसके वारिसान पुत्र/पुत्रीयो के नाम से दर्ज है मे पुत्र/पुत्रीयो के देहानत होने पर गन्नी वल्द मामदीन के जायज वारिसा सजरा खानदान के अनुसार वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 28 वाद भूमि रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 713/703 के खसरा न0 353 की 6.578हैक भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र) में आने के कारण राज्यहको के मध्यनजर किमतन खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है जिसके सम्वध में वादी ने किसी प्रकार का ऐतराज जाहिर नही किया बल्की सहमति जाहिर की गई है।

अतः वाद वादी उपरोक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 713/703 के खसरा न0 353 की कुल 6.578 हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर्ज 2000/- प्रतिबीधा का (वादी अन्य पिछडा वर्ग जाति का होने के कारण) 20 प्रतिशत 400/-रू प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 प्रत्येक 1/42 हिस्सा , तरतीवी प्रतिवादी संख्या 26 ता 28 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रत्येक 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा , व तरतीबी प्रतिवीद संख्या 19 ता 25 प्रत्येक 1/42 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोपित किया जाता है तथा मृतक रोशन , फुल्शेखा ,सरीफा का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. यासीन खां पुत्र रोशनखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादीगण

2. मोहम्मद हुसेन पुत्र फेलसखा उर्फ फुल्शेखाजाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. बलकीसा पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. मदीना पुत्री फुलेसका उर्फ फुलशेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. यासीन पुत्र फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. जरीना पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. कलीमा पुत्री फुलेसका उर्फ फुल्शेखा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. इकबाल खां पुत्र मुन्शीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. मोहम्मद रफीक पुत्र मुन्शीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. मैना पत्नी मुन्शीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. रेशमी पुत्री गन्नीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. नेक मोहम्मद पुत्र गन्नेखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
13. सफीखां पुत्र गन्नीखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
14. कर्मा पत्नी रोशनखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
15. नबाबदीन पुत्र रोशन खान जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
16. जमीला पुत्री रोशनखां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. सकीना पुत्री रोशन खां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. जलेखां पुत्री रोशन खां जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. अब्दुल जबार पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. कुरसेदा पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. सकीना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. झेहना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
23. जेतुना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
24. समीना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
25. आमना पुत्री सरीफा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
26. मुस्ताक पुत्री गुलजारा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
27. तैयब पुत्र गुलजारा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।
28. आमना पुत्री गुलजारा जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 505 सन 2021 निर्णय दिनांक – 31\03\2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपरिथति में अंतिम निपटारें/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 713/703 के खसरा न0 353 की कुल 6.578 हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर्ज 2000/– प्रतिबीधा का (वादी अन्य पिछडा वर्ग जाति का होने के कारण) 20 प्रतिशत 400/–रू प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 प्रत्येक 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 28 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 प्रत्येक 1/42 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 सयुक्त तौर से 1/42 हिस्सा , व तरतीबी प्रतिवीद संख्या 19 ता 25 प्रत्येक 1/42 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक रोशन , फुल्शेखा ,सरीफा का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 31/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner